फर्द अहकाम

भूरी देवी बनाम बलदेव वगै.

न्यायालय ACM-II

संख्या प्रा.पत्र रेस्टोरेशन - 5/2016

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/7/19	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। कुलाप फरीकैन उप० वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का मय मूलवाद अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व मूलवाद में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाया गया है। उक्त के अवलोकन पश्चात मूल प्रार्थना पत्र अवमानना को पुनः नंबर पर लिया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. बाबत रेस्टोर किये जाने अवमानना प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र पुनः नंबर पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दर्ज नंबर से कम फैसल शुमार होकर मूलवाद से निर्णय आवश्यक होकर संलग्न मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 3/07/19 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।	3/7/19
		सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	